न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/11/2025 रजू दिनांकः 23.01.2025 रजि0 न0 2025/16

अपीलार्थीः–

श्री सोहनलाल वर्मा पुत्र श्री मांगीलाल वर्मा, निवासी मौहल्ला ब्रहम्चारी दरगू का थान अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर (राजस्थान)

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 03.02.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 22.11.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 03.02.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्रांक लो.सू.अ/प्रथम अपील/2025/99 दिनांक 24.01.2025 प्रेषित कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक 13.01.2024 के माध्यम से पूर्व सूचना आवेदन दिनांक 22.11.2024 कार्यालय को प्राप्त 25.11.2024 के परिपेक्ष्य में इस लोक सूचना अधिकारी द्वारा किए गए विनिश्चय पत्रसं. 163 दिनांक 24.01.2024 पर असंतोष व्यक्त कर संदर्भित प्रार्थी का नल शिफ्ट किए जाने साथ ही पीएईडी मनुमार्ग अलवर के अधिकारियों द्वारा प्रकरण में की गई कार्यवाही प्रति दिलाने बाबत अनुरोध किया है। जिसके संबंध में कार्यालय को प्राप्त सूचना आवेदन दिनांक 25.11.2024 के परिपेक्ष्य में तत्समय तक इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचना/अभिलेखीय प्रति/जानकारी से अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है, अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से प्रश्नगत जांच कार्यवाही संबंधित विभागो से प्राप्त कर, पूर्ण कराकर, उन्हे उपलब्ध कराने की वांछा की जा रही है, जांच कार्यवाही पूर्ण कराकर संबंधित कार्यालयों से प्राप्त किया जाना, सूचना के सृजन की परिभाषा में आता है जो सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 7(9) के आलोक में अदेय है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, माननीय राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपील संख्या 1669/2010 ब.उ. मदनसिंह यादव बनाम अति0 जिला कलक्टर अलवर में दिनांक 11.11.2010 को निर्णय पारित कर उद्वरित किया है कि "अपीलार्थी ने प्रत्यथी पक्ष से अभिलेखीय सूचनान मांग कर यह अपेक्षा की है कि उसे अन्य विभाग से सूचना एकत्रित कर दी जावे, उन्हें संबंधित विभाग से मंगाकर, जांच कर सूचना दी जावे। यह सूचना के सृजन की परिभाषा में आता है, इसलिए ऐसी सूचना अदेय है।" अतः अपीलार्थी द्वारा अपील के प्रक्रम पर चाही जा रही सूचना अदेय है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलीय वांछित सूचना के कम में प्रत्यर्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विधिक प्रावधानानुसार विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 03.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)